196

॥ कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक एफ. 16 ई. सी. 194/वसं/प्रमुवसं/167 दिनांक:- 23.1.95

-: परिपत्र :-

दिनांक 3.5.94 को शासन सचिवालय जयपुर में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई पर्यावरण, वन एवं खनन मामलों में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त वन अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(1)94/वसं/प्रमुवसं/20432-530 दिनांक 14.11.94 के क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य के विभिन्न वन्य जीव उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, निषिद्ध क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण आरक्षित वन क्षेत्रों की सीमा के बाहर 25 मी0 चौड़े परिधि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन कार्य की अनुमति नहीं दी जावें। अन्य वन क्षेत्रों की सीमा के निकट खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर वन सीमा को भली भांति निर्धारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन पत्रों का 30 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारण कर दिया जावें।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आप सभी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि आपके क्षेत्राधिकार में स्थित महत्वपूर्ण सघन एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों की विस्तृत सूची स्थानीय खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को तत्काल उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 16 ई. सी. 194/वसं/प्रमुवसं/168-267 दिनांक:- 23.1.95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1- मुख्य वन संरक्षक
2- वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक, समस्त
3- मंडल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक/भू-संरक्षण अधिकारी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।